

प्रेसनोट दिनांक 07.09.2023

1. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार पुत्र स्व0 जगन्नाथ नि0 फततेपुर सरैया थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 324/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री बृजेन्द्र नाथ मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी वीरेन्द्र कुमार नि0 तारापुर रजौली थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 325/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री बृजभूषण पाठक थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकिशोर गौतम पुत्र स्व0 रामजतन गौतम नि0 टेढी बाजार थाना रा0ज0भू0 अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 514/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामहेत यादव पुत्र जगलाल नि0 शेरवाघाट थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 242/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दुबे थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आशाराम पुत्र जगेश नि0 गद्दोपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 243/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 06.09.23 को वादी आरक्षी श्री राजेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंशराम पुत्र रामसमुझ नि0 सफीपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 450/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 06.09.23 को वादी मु0आरक्षी बालेन्द्र प्रताप सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामनाथ पुत्र रामशरण नि0 खेमानपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 451/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 06.09.23 को वादी निरी0 श्री जनार्दन सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि तुलसीराम पुत्र हृदयराम नि0 मांझा सोनौरा थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 449/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 06.09.23 को वादी म0उ0नि0 पूजाराज थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंगरू पुत्र राम प्रताप नि0 जैनपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 450/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 06.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र रामफल नि0 सालहेपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 451/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री लल्लन सिंह राठौर थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द वर्मा उर्फ संजू वर्मा पुत्र स्व० रामचन्द्र नि० खरगपुर थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 241/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 06.09.23 को वादी आरक्षी श्री गौरव कुमार थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्रवण कुमार पुत्र झब्बर नि० परसवां महौला थाना तारून अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 242/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 06.09.23 को वादी आरक्षी श्री सन्तराम थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मायाराम पुत्र जियालाल नि० पिपराताल भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 392/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री अभय प्रताप सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामलोचन पुत्र जगप्रसाद नि० महुलारा थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 394/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री कमलेश कुमार साहनी थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उदयराज पुत्र रामभवन नि० जगन्नाथपुर थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 162/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी देवीशरण नि० टिकरी थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 190/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री अविनाश चन्द्र थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दुर्गेश गौतम पुत्र आशाराम नि० गांधीनगर थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 450/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री चन्द्रशेखर यादव थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामतीरथ पासी पुत्र जगजीवन नि० जमुनियामऊ थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 451/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 06.09.23 को वादी आरक्षी श्री रामाश्रय यादव थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सालिकराम पुत्र हौसिला नि० सड़वा थाना मवई अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 131/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र आजाद थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि परशुराम पुत्र रामसुन्दर नि० बलऊ का पुरवा कसारी थाना बाबा बाजार अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु०अ०सं० 118/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 06.09.23 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लालता प्रसाद पुत्र बनवारीलाल नि० राजानगर थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 202/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।